जारी/श्री बी. एन. ओझा
27/6/2016

संख्याः 549 /35–1–2016–2/1(86)/2014

प्रेषक,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
नियोजन विभाग,
योजना भवन, लखनऊ।

सेवा में,

परियोजना निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड,
पॉचवा तल, योजना भवन,
लखनऊ।

नियोजन अनुभाग–1 लखनऊः दिनांकः 27 जून, 2016

विषयः– उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड, नियोजन विभाग, उ0प्र0 के कार्यकारी समिति की प्रथम बैठक दिनांक 11.05.2016 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की ऊर्जा आवश्यकताओं की वैकल्पिक ऊर्जा संसाधनों से पूर्ति करते हुये पेट्रोलियम आधारित ईधन की खपत को कम करने, ग्रीन हाउस गैसेज के उत्सर्जन में गुणात्मक रूप से कमी लाने तथा बड़े पैमाने पर स्वरोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से "राज्य जैव ऊर्जा नीति" लागू किये जाने हेतु शासनादेश संख्या–1569/35–1–2014–2/1(86)/2014, दिनांक 14 नवम्बर, 2014 जारी किया गया है जिसके द्वारा निम्नांकित पॉच मिशन कमशः मिशन बायोडीजल, मिशन बायो एथेनाल मिशन बायोगैस, मिशन प्रोड्यूसर गैस तथा औषधीय एवं सगंध पुष्पों/कंदों/फलों के कृषिकरण के संबंध में उक्त नीति के कियान्वयन हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या–40/2015/1261/35–1–2015–2/1(86)/2014, दिनांक 03 दिसम्बर, 2015 के द्वारा बोर्ड की स्थापना की गई है।

उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड के कार्यकारी समिति की प्रथम बैठक दिनांक 11.05.2016 को हुई है जिसके अनुपालन के सम्बन्ध में उक्त पॉचों मिशनों/बोर्ड के क्षेत्रान्तर्गत आने वाले समस्त कार्यक्रमों/योजनाओं/परियोजनाओं को उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड द्वारा कियान्वित /संचालित/संपादित करने हेतु निम्न कार्यवाही की जानी हैं/अपेक्षित हैं :–

1. बैठक में लिये गये निर्णयानुसार उक्त समस्त पॉचों मिशन के कियान्वयन हेतु आवश्यकतानुसार प्रोजेक्ट स्पेसिफिक एस0पी0वी0 (Special Purpose Vehicle) के

---2-

माध्यम से अद्यतन तकनीकी को लागू करते हुए क्रियान्वयन किया जायेगा। साथ ही बोर्ड स्वयं भी उक्त कार्यक्रमों का प्रोजेक्ट मोड में संचालन करेगा।

2. बोर्ड के कार्यालय हेतु आवंटित योजना भवन के पंचम तल स्थित कक्ष को सुदृढ़ीकरण/साज–सज्जा की कार्यवाही यथाशीघ्र पूर्ण करायी जाय।
3. वर्तमान में बोर्ड के कार्यो को प्रारम्भ करने के लिए न्यूनतम पदों की उपलब्धता/अपरिहार्यता के दृष्टिगत बोर्ड के निर्णयानुसार पदों के सृजन/उच्चीकरण तथा पदों को भरे जाने की कार्यवाही यथाशीघ्र सम्पन्न की जाय।
4. बोर्ड को आय–व्ययक में उपलबध धनराशि रू0–150.00 लाख की स्वीकृति निर्गत कर दी गयी है जिसमें से रू0–75.00 लाख वेतन आदि मदों के लिए है तथा रू0–75.00 लाख योजनाओं/परियोजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रचार–प्रसार हेतु है। इसके अतिरिक्त बोर्ड में परियोजना निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा सदस्य सचिव/मुख्य परिचालन अधिकारी की नियुक्ति/तैनाती की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में बोर्ड के निर्णयानुसार स्वीकृत धनराशि का उपयोग करते हुए अपेक्षित पदों की व्यवस्था/कार्यालय कक्षों को व्यवस्थित किया जाना/दूरभाष की व्यवस्था/वाहन आदि की व्यवस्था/उपलब्धता के सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही की जाय।
5. बोर्ड का राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोले जाने हेतु शासनादेश जारी कर दिया गया है इसमें अग्रिम कार्यवाही/यथा आवश्यकता आहरण वितरण अधिकारी की व्यवस्था भी यथाशीघ्र कर ली जाय।
6. बोर्ड की परियोजनाओं/योजनाओं का विभिन्न सूचना माध्यमों/संचार माध्यमों/प्रशिक्षकों के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाय एवं यथापेक्षित प्रदर्शनी/प्रदर्शन क्षेत्रों के माध्यम से भी इस निमित्त अपेक्षित कार्यवाही करते हुए पूर्व निर्गत प्रचार साहित्य में सामयिक आवश्यकतानुसार/लिये गये निर्णयानुसार संशोधन/परिवर्तन/परिवर्धन करते हुए इसे उपयोग में लिया जाय एवं कार्यक्रमों से जुड़े प्रशिक्षकों/स्वरोजगारी युवाओं/इच्छुक कृषकों को जानकारी दी जाय एवं कार्यक्रमों के लिए मास्टर ट्रेनर/ट्रेनर को भी प्रशिक्षण हेतु तैयार किया जाय तथा उन्हें प्रशिक्षण साहित्य दिया जाय। इन प्रशिक्षकों द्वारा अपने–अपने क्षेत्र में इच्छुक कृषकों/स्वरोजगारोन्मुखी युवाओं तथा जन सामान्य को वैल्यू चेन मैकेनिज्म के अन्तर्गत दिया जायेगा। योजनाओं/कार्यक्रमों की उपयोगिता को जन सामान्य तक पहुंचाने एवं अभिप्रेरित करने हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर **"चौपाल कर चर्चा"** कार्यक्रम इत्यादि माध्यमों से आयोजित कराया जाय तथा इस संबंध में विभिन्न इलेक्ट्रानिक माध्यमों यथा रेडियों, टीवी, वृत्तचित्र तथा प्रिन्ट मीडिया के माध्यम से इनकी उपयोगिता/उपादेयता एवं पर्यावरणीय स्वच्छतापरक एवं आर्थिक रूप से लाभदायी स्थिति को उजागर किया जाय।
7. प्रशिक्षण अवधि में मास्टर ट्रेनर तथा ट्रेनर को बोर्ड के निर्णयानुसार मानदेय का भुगतान किया जाय तथा प्रशिक्षणार्थियों को निर्णयानुसार ही चाय/स्वल्पाहार की व्यवस्था के बारे में कार्यवाही की जाय।
8. बोर्ड के समस्त कार्यक्रमों को उद्यमिता मोड तथा बैंक इण्डेड केडिट लिंक्ड सब्सिडी के रूप में संचालित करने के संबंध में जनपद स्तर पर जैव ऊर्जा विकास केन्द्रों की

-3-

स्थापना की जाय तथा कार्यक्रमों के संचालन हेतु परियोजना विशेष हेतु अलग–अलग एस0पी0वी0 बनाकर कार्य किया जाय।

9. इन कार्यक्रमों हेतु उ0प्र0 शासन के विभिन्न विकास विभागों द्वारा पूर्व से संचालित योजनाओं से कन्वर्जेन्स/भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा संचालित कार्यक्रमों का सहयोग/राज्य उद्योग नीति का सहयोग प्राप्त किया जाय।
10. राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के विभिन्न विश्वविद्यालयों/शोध संस्थानों का सहयोग प्राप्त करके जैव ऊर्जा विकास हेतु शोध विकास एवं प्रयोग तथा विस्तार कार्यक्रमों का संचालन भी किया जाय तथा बैठक में लिये गये निर्णयानुसार जैव ऊर्जा परियोजनाओं से संबंधित शोंध एवं विकास कार्यो हेतु उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद से भी वित्तीय सहायता प्राप्त करने की कार्यवाही की जाय तथा इस निमित्त भी परियोजनाओं प्रतिवेदन तैयार कर/शोध संस्थानों से प्राप्त करके अवगत कराया जाय तथा डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के पर्यावरण विभाग के साथ एस0टी0पी0 पान्ड के गन्दे पानी में एल्गी उत्पादन करके बायो डीजल बनाये जाने संबंधी प्रस्ताव/परियोजना प्रतिवेदन शीघ्र तैयार करके प्रस्तुत किया जाय।
11. बोर्ड के निर्णयानुसार पूर्व में स्थापित वेबसाइट :http:://jetropha.up.nic.in को अपडेट करते हुए बोर्ड की वेबसाइट विकसित/अपडेट रखी जाय तथा लोगो से संबंधित कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए जैव ऊर्जा परियोजनाओं से संबंधित पूर्व में गठित समितियों/उप समितियों के पुनगर्ठन का यथा आवश्यकता प्रस्ताव तैयार करके प्रस्तुत किया जाय।
12. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वॉछित प्रदेश की जैव ऊर्जा विकास की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर मंत्रालय को भेजी जाय तथा उसका अनुश्रवण भी किया जाय एवं इस संबंध में भारत सरकार के दिशा निर्देशों/आदेशों/परिपत्रों आदि का विवरण (प्रति) भी प्राप्त की जाय।
13. इन्टरनेशनल फण्ड फार एग्रीकल्चर डेवलपमेंट द्वारा प्रदेश में जैव ऊर्जा विकास हेतु संचालित पब्लिक–प्राइवेट–पंचायत–पार्टनरशिप माडल के संबंध में बोर्ड के निर्णयानुसार प्रस्ताव संबंधित मंत्रालय को भेज दिया जाय तथा तत्संबंधित गाइड लाइन/आदेश/परिपत्र आदि प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।
14. प्रदेश में जैव ऊर्जा परियोजनाओं/योजनाओं के विकास/संचालन हेतु विभागीय स्तर से, कार्यक्रम से जुड़े भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत करने तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से ग्रीन फाण्ड प्राप्त करने/विभिन्न स्वैच्छिक संस्थाओं/राज्य सरकार से धनराशि/अनुदान प्राप्त करने की कार्यवाही की जाय।
15. आई–स्पर्श स्मार्ट विलेज परियोजना के अर्न्तगत कृषिकरण/जैव ऊर्जा पौध रोपण/चयनित वनस्पतियों/वृक्षों के रोपण के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णयानुसार उ0प्र0 कृषि विविधीकरण परियोजना तथा राज्यस्तरीय नोडल एजेन्सी (आई0डब्लू0एम0पी0) परती भूमि विकास विभाग, उ0प्र0 के साथ संयुक्त रूप से संचालित करते हुए योजना को कियान्वित किया जाय तथा आवश्यकतानुसार इस परियोजना तथा बोर्ड के बीच एम0ओ0यू0 का नियमानुसार निष्पादन किया जाय।

– – – 4 –

16. इन्टीग्रेटेड शुगर काम्प्लेक्स पर वैल्यू चेन मैकेनिज्म के अन्तर्गत एस0पी0वी0 बनाकर पी0–4 माडल में कार्य किये जाने के संबंध में बोर्ड के निर्णयानुसार कार्यवाही की जाय।
17. ठोस नगरीय कूड़े के सुरक्षित वैज्ञानिक डिस्पोजल के संबंध में बोर्ड के निर्णयानुसार कार्यवाही की जाय।
18. बोर्ड द्वारा दिनांक 11.05.2016 को बैठक में लिये गये समस्त मामलों में निर्णयानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

कृपया उक्त आदेशों का प्रत्येक स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(अरूण कुमार सिन्हा)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 549 (1)/35–1–2016, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1 संबंधित मंत्रालय, भारत सरकार।
2 संबंधित विभाग/संस्था/संस्थान/निदेशक, भारत सरकार।
3 संबंधित प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4 संबंधित विभागाध्यक्ष/निदेशक/संस्थान, उ0प्र0।
5 वित्त नियंत्रक, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
6 सदस्य संयोजक, उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड, पॉचवा तल, योजना भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,

(जे0बी0 सिंह)
विशेष सचिव।